

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1701/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी.सी.-286-उ० प्र० अधि०-1-2017-आदेश-
(350)-2025

लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या-क० नि०-2-855/ग्यारह-9(47)/17-उ० प्र० अधि०-1-2017-आदेश-(22)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में एतद्द्वारा निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सम्मुख, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9%" रख दी जायेगी।

2. यह अधिसूचना तारीख 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

Digitally signed by
(एम. देवराज)
M DEVARAJ
Date: 20/09/2025
17:23:59